

## प्रेस विज्ञाप्ति

झारखण्ड सरकार ने राज्य को नक्सल मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के निर्देशन में झारखण्ड पुलिस, सी0आर0पी0एफ0, झारखण्ड जगुआर एवं अन्य केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के द्वारा सभी नक्सली संगठनों के खिलाफ चौरतफा कार्रवाई की जा रही है और इस दिशा में पुलिस को नक्सली संगठनों के विरुद्ध निरन्तर सफलताएँ भी मिल रही हैं। साथ ही झारखण्ड को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करने हेतु भटके नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने के लिए झारखण्ड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत झारखण्ड पुलिस लगातार कार्य कर रही है, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा है और अब तक भा0क0पा0(माओ0) सहित अन्य प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के कई बडे इनामी नक्सली कमाण्डरों से लेकर दस्ता सदस्य झारखण्ड पुलिस एवं केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। भा0क0पा0(माओ0) संगठन के आंतरिक शोषण, भयदोहन एवं पुलिस की लगातार बढ़ती दबिश के कारण कई नक्सली मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं।

दिनांक 08.11.2021 को भा0क0पा0(माओ0) नक्सली संगठन के केन्द्रीय कमिटी सदस्य अनल उर्फ रमेश दा उर्फ पतिराम मांझी की टीम के सक्रिय एरिया कमाण्डर (1) बैलुन सरदार (2) गाजू उर्फ सुरज सरदार एवं दस्ता सदस्य (3) रायमुनी कुमारी उर्फ गीता मुण्डा एवं दिनांक 24.12.2021 को सक्रिय सदस्य प्रकाश गोप (अनल उर्फ पतिराम मांझी का अंगरक्षक) ने झारखण्ड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसी कड़ी में भा0क0पा0(माओ0) नक्सली संगठन के केन्द्रीय कमिटी सदस्य अनल उर्फ रमेश दा उर्फ पतिराम मांझी की टीम के सक्रिय एवं मारक दस्ता की रीढ़ कहे जाने वाले एवं पार्टी प्रवक्ता चाण्डिल, मुण्डू जोन (नक्सलियों के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण एवं सुरक्षित क्षेत्र) के जोनल कमाण्डर महाराज प्रमाणिक उर्फ राज उर्फ बब्लू उर्फ अशोक जिन पर झारखण्ड सरकार द्वारा 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है, के द्वारा आज दिनांक 21.01.2022 को झारखण्ड पुलिस के समक्ष 01 (एक) ए0के0-47 रायफल, 02 (दो) मैगजीन, 150 (एक सौ पचास) चक्र गोली एवं 02 (दो) वायरलेस सेट के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के लगातार अभियान, बढ़ती दबिश, संगठन के आंतरिक शोषण से झुक्क होकर तथा झारखण्ड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जीने के लिए आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सली जोनल कमाण्डर महाराज प्रमाणिक उर्फ राज उर्फ बब्लू उर्फ अशोक पिता—जरासिंधू प्रमाणिक, सा0—दारूदा, थाना—ईचागढ़, जिला—सरायकेला—खरसावों के रहने वाले हैं।

### आत्मसमर्पित नक्सली का नाम व पता

► जोनल कमाण्डर महाराज प्रमाणिक उर्फ राज उर्फ बब्लू उर्फ अशोक, पिता—जरासिंधू प्रमाणिक, सा0—दारूदा, थाना—ईचागढ़, जिला—सरायकेला—खरसावों।

आत्मसमर्पित नक्सली जोनल कमाण्डर महाराज प्रमाणिक उर्फ राज उर्फ बब्लू उर्फ अशोक के विरुद्ध अलग—अलग थानों में कई काण्ड दर्ज हैं, जो निम्न हैं :-

- 1 गम्हरिया (काण्डा) थाना काण्ड सं0-91 / 07 दिनांक 25.12.07, धारा—399 / 402 / 414 भा0द0वि0
- 2 गम्हरिया (काण्डा) थाना काण्ड सं0-92 / 07 दिनांक 25.12.07, धारा—25(1-बी)ए / 26 / 35 आम्स एकट

- 3 चौका थाना काण्ड सं. 84 / 09 दिनांक 29.04.09 धारा 392 भा.द.वि.।
- 4 चौका थाना काण्ड सं. 21 / 10 दिनांक 24.04.10 धारा 353 / 307 / 34 भा.द.वि. 27 आम्स्र एकट एवं 17 सी.एल.ए.एकट।
- 5 चौका थाना काण्ड सं. 41 / 10 दिनांक 14.07.10 धारा 147/148 / 149 / 149 / 353 / 307 भा.द.वि. एवं 25(1-बी)ए / 26 / 27 / 35 आम्स्र एकट एवं 17 सी.एल.ए.एकट।
- 6 चौका थाना काण्ड सं. 77 / 10 दिनांक 19.12.10 धारा 302 / 34 भा.द.वि. एवं 27 आम्स्र एकट, 17 सी.एल.ए.एकट।
- 7 चौका थाना काण्ड सं. 15 / 10 दिनांक 23.03.10 धारा 147 / 148 / 149 / 353 / 307 / 302 भा.द.वि. तथा 25(1-बी)ए / 26 / 27 / 35 आम्स्र एकट एवं 3 / 4 वि.पदा.अधि. 17 सी.एल.ए.एकट।
- 8 चौका थाना कांड सं0-21 / 10, दिनांक—24.04.10, धारा—353 / 307 / 34 भा0द0वि0 एवं 27 आम्स्र एकट एवं 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 9 चौका थाना काण्ड सं. 46 / 10 दिनांक 14.08.10 धारा 147 / 148 / 149 / 353 / 302 / 379 भा.द.वि. 27 आम्स्र एकट 17 सी.एल.ए.एकट।
- 10 चौका थाना काण्ड सं. 16 / 10 दिनांक 23.03.10 धारा 147 / 148 / 149 / 302 / 379 भा.द.वि. एवं 27 आम्स्र एकट।
- 11 चौका थाना काण्ड सं. 23 / 13 दिनांक 22.03.13 धारा 147 / 148 / 149 / 302 / 353 भा.द.वि., 25(1-बी)ए / 26 / 35 आम्स्र एकट एवं 17 सी.एल.ए.एकट।
- 12 चौका थाना काण्ड सं. 21 / 11 दिनांक 03.04.11 धारा 147 / 148 / 149 / 435 / 379 भा.द.वि. 17 सी.एल.ए.एकट।
- 13 चौका थाना काण्ड सं. 25 / 11 दिनांक 17.05.11 धारा 4 / 5 वि.पदा.अधि. एवं 17 सी.एल.ए.एकट।
- 14 चौका थाना काण्ड सं. 39 / 11 दिनांक 04.08.11 धारा 147 / 148 / 149 / 353 / 307 भा.द.वि. 27 आम्स्र एकट एवं 17 सी.एल.ए.एकट।
- 15 चौका थाना काण्ड सं. 42 / 11 दिनांक 19.08.11 धारा 307 / 326 / 324 / 34 भा.द.वि. एवं 27 आम्स्र एकट, 17 सी.एल.ए.एकट।
- 16 चौका थाना काण्ड सं. 67 / 11 दिनांक 19.12.11 धारा 147 / 148 / 149 / 353 / 307 भा.द.वि., 27 आम्स्र एकट, 17 सी.एल.ए.एकट।
- 17 चौका थाना काण्ड सं. 37 / 12 दिनांक 17.07.12 धारा 3 / 4 वि.पदा.अधि. 17 सी.एल.ए.एकट।
- 18 चौका थाना काण्ड सं. 41 / 12 दिनांक 04.08.12 धारा 4 / 5 वि.पदा.अधि. 17 सी.एल.ए.एकट।
- 19 चौका थाना काण्ड सं. 56 / 12 दिनांक 28.01.12 धारा 4 / 5 वि.पदा.अधि. 17 सी.एल.ए.एकट।
- 20 चौका थाना काण्ड सं. 67 / 12 दिनांक 27.12.12 धारा 147 / 148 / 149 / 353 / 324 / 307 भा.द.वि. एवं 27 आम्स्र एकट एवं 17 सी.एल.ए.एकट एवं 13 यू.ए.पी.एकट।
- 21 ईचागढ़ थाना काण्ड सं. 36 / 12 दिनांक 18.11.12 धारा 212 / 34 भा.द.वि. एवं 13 / 19 यू.ए.पी.एकट, 4 / 5 वि.पदा.अधि. एवं 17 सी.एल.ए.एकट।
- 22 चौका थाना काण्ड सं. 23 / 13 दिनांक 22.03.13 धारा 147 / 148 / 149 / 353 / 307 भा.द.वि. एवं 27 आम्स्र एकट व 17 सी.एल.ए.एकट।
- 23 चौका थाना काण्ड सं. 77 / 13 दिनांक 19.12.13 धारा 25(1-बी)ए / 26235 आम्स्र एकट एवं 4 / 5 वि.पदा.अधि. एवं 17 सी.एल.ए.एकट।
- 24 खरसावों थाना काण्ड सं0-02 / 13, दिनांक 20.01.13, धारा—448 / 147 / 148 / 149 / 341 / 342 / 326 / 302 भा0द0वि0 एवं 17 सी0एल0 ए0एकट।
- 25 खरसावों थाना कांड संख्या—11 / 13, दिनांक 02.03.13, धारा—342 / 302 / 379 / 34 भा0द0वि0 एवं 17 सी0एल0ए0एकट।

- 26 कुचाई थाना कांड सं0—15 / 13, दिनांक—13.05.13, धारा—147 / 148 / 149 / 326 / 307 / 353 / 121 / 121ए भा०द०वि०, 25(1—ए) / 25(1—बी)ए / 26(2) / 27(2) / 35 आम्स एकट।
- 27 चौका थाना काण्ड सं. 07 / 14 दिनांक 05.02.14 धारा 17 सी.एल.ए.एकट।
- 28 चौका थाना काण्ड सं. 49 / 14 दिनांक 07.06.14 धारा 414 भा.द.वि. 25(1—बी)ए / 26 आम्स एकट व 4 / 5 वि.पदा.अधि. 17 सी.एल.ए.एकट।
- 29 चौका थाना काण्ड सं. 65 / 14 दिनांक 17.08.14 धारा 147 / 148 / 149 / 341 / 364 / 302 भा.द.वि. 17 सी.एल.ए.एकट।
- 30 चौका थाना काण्ड सं. 98 / 14 दिनांक 07.12.14 धारा 147 / 148 / 149 / 302 / 424 भा.द.वि. एवं 17 सी.एल.ए.एकट।
- 31 कुचाई थाना काण्ड सं. 25 / 14 दिनांक 17.12.14 धारा 302 / 34 भा.द.वि. एवं 17 सी.एल.ए.एकट।
- 32 कुचाई थाना काण्ड सं. 26 / 15 दिनांक 28.10.15 धारा 302 / 34 भा.द.वि. एवं 17 सी.एल.ए.एकट।
- 33 कुचाई थाना काण्ड सं. 31 / 15 दिनांक 23.11.15 धारा 427 / 379 / 34 भा.द.वि. एवं 17 सी.एल.ए.एकट।
- 34 कुचाई थाना काण्ड सं. 28 / 15 दिनांक 10.11.15 धारा 302 / 34 भा.द.वि. एवं 27 आम्स एकट, 17 सी.एल.ए.एकट।
- 35 खरसावॉ थाना कांड सं0—46 / 15, दिनांक—19.08.15, धारा—25(1—बी)ए / 26 / 35 आम्स एकट।
- 36 कुचाई थाना काण्ड सं. 28 / 16 दिनांक 15.01.16 धारा 147 / 148 / 149 / 341 / 342 / 302 / 427 / 435 भा.द.वि. एवं 27 आम्स एकट एवं 17 सी.एल.ए.एकट।
- 37 कुचाई थाना काण्ड सं. 29 / 16 दिनांक 21.11.16 धारा 302 / 201 / 120बी / 34 भा.द.वि. एवं 27 आम्स एकट
- 38 खरसावॉ थाना काण्ड सं. 35 / 16 दिनांक 24.06.16 धारा 147 / 148 / 149 / 341 / 342 / 379 / 435 / 436 भा.द.वि. एवं 3 / 4 वि.पदा.अधि. एवं 17 सी.एल.ए.एकट तथा 13 यू.ए.पी.एकट।
- 39 सरायकेला थाना काण्ड सं. 121 / 16 दिनांक 05.07.16 धारा 387 भा.द.वि. एवं 17 सी.एल.ए.एकट।
- 40 चौका थाना काण्ड सं. 65 / 16 दिनांक 07.11.16 धारा 147 / 148 / 149 / 435 / 342 भा.द.वि. एवं 17 सी.एल.ए.एकट एवं 13 यू.ए.पी.एकट।
- 41 खरसावॉ थाना काण्ड संख्या 51 / 16, दिनांक 14.09.16, धारा—25(1—बी)ए / 26 आम्स एकट एवं 17 सी०एल०ए०एकट।
- 42 खरसावॉ थाना काण्ड सं. 09 / 17 दिनांक 17.02.17 धारा 4 / 5 वि.पदा.अधि. —1998 एवं 17 सी.एल.ए.एकट।
- 43 चौका थाना कांड सं0—19 / 17, दिनांक—01.04.17, धारा—17 सी०एल०ए० एकट एवं 4 / 5 वि०पदा० अधि०।
- 44 कुचाई थाना काण्ड सं. 05 / 17 दिनांक 20.02.17 धारा 302 / 34 भा०द०वि०।
- 45 कुचाई थाना काण्ड सं. 17 / 17 दिनांक 26.09.17 धारा 25(1—बी)ए / 26235 आम्स एकट एवं 10 / 13 यू.ए.पी.एकट।
- 46 कुचाई थाना काण्ड सं. 19 / 17 दिनांक 16.10.17 धारा 414 / 120बी / 121ए भा.द.वि. एवं 17 सी.एल.ए.एकट एवं 13 यू.ए.पी.एकट।
- 47 काण्डा थाना काण्ड सं. 45 / 17 दिनांक 15.10.17 धारा 120बी / 121ए भा.द.वि. एवं 25(1—बी) / ए / 26 / 35 आम्स एकट एवं 3 / 4 वि.पदा.अधि. एवं 17 सी.एल.ए.एकट।
- 48 कुचाई थाना काण्ड सं. 10 / 18 दिनांक 14.03.18 धारा 147 / 148

- / 149 / 341 / 302 / 427 / 435 भा.द.वि. एवं 27 आम्स्र एकट एवं 17 सी.एल.ए.एकट  
 49 कुचाई थाना काण्ड सं0 13 / 2018 दिनांक 07.04.2018 धारा 25(1-बी0)(ए) / 26 / 35 आम्स्र एकट एवं 17 सी0एल0ए0 एकट
- 50 कुचाई थाना काण्ड सं. 21 / 18 दिनांक 17.06.18 धारा 147 / 148 / 149 / 332 / 333 / 353 / 302 भा.द.वि. एवं 27 आम्स्र एकट एवं 3 / 4 वि.पदा.अधि. एवं 17 सी.एल.ए.एकट एवं 10 / 13 यू.ए.पी.एकट।
- 51 चौका थाना काण्ड सं. 68 / 18 दिनांक 20.12.18 धारा 174(ए) भा.द.वि.।
- 52 चौका थाना काण्ड सं. 71 / 18 दिनांक 26.12.18 धारा 174(ए) भा.द.वि.।
- 53 चौका थाना काण्ड सं. 72 / 18 दिनांक 26.12.18 धारा 174(ए) भा.द.वि.।
- 54 कुचाई थाना काण्ड सं. 31 / 18 दिनांक 26.12.18 धारा 174(ए) भा.द.वि.।
- 55 ईचागढ़ थाना काण्ड सं. 44 / 18 दिनांक 26.12.18 धारा 174(ए) भा.द.वि.।
- 56 खरसावाँ थाना काण्ड सं. 63 / 18 दिनांक 27.12.18 धारा 174(ए) भा.द.वि.।
- 57 कुचाई थाना काण्ड सं0-03 / 2019, दिनांक-18.01.2019, धारा-147 / 148 / 149 / 353 / 307 / 121 / 121ए / 120बी भा0द0वि0 एवं 27 आम्स्र एकट एवं 17 सी.एल.ए. एवं 10 / 13 यू.ए.पी.एकट।
- 58 खरसावाँ थाना कांड सं0-20 / 19, दिनांक-03.05.19, धारा-341 / 342 / 323 / 427 / 458 / 506 / 34 भा0द0वि0, 25 (1-बी)ए / 26 / 35 आम्स्र एकट, 3 / 4 विस्फोटक पदार्थ अधि0, 17 सी.एल.ए. एकट
- 59 खरसावाँ थाना काण्ड सं0-24 / 19, दिनांक-20.05.19, धारा-147 / 148 / 149 / 341 / 324 / 307 / 353 भा0द0वि0, 27 आम्स्र एकट, 3 / 4 विस्फोटक पदार्थ अधि0, 17 सी.एल.ए. एकट एवं 13 यू.ए.पी.ए. एकट
- 60 कुचाई थाना काण्ड सं0-14 / 19, दिनांक-29.05.19, धारा-147 / 148 / 149 / 307 / 353 / 323 / 324 / 427 भा0द0वि0, एवं 27 आम्स्र एकट, 17 सी.एल.ए. एकट, 3 / 4 विष्फोटक पदार्थ अधि0, 13 यू.ए.पी.ए.
- 61 तिरुलडीह थाना कांड सं0-16 / 19 दिनांक-15.6.19 धारा-147 / 148 / 149 / 302 / 353 / 379 / 435 भा0द0वि0, 27 आम्स्र एकट, 17सी0एल0ए0एकट एवं 13 यू0ए0पी0ए0एकट
- 62 कुचाई थाना काण्ड सं0-33 / 19, दिनांक-29.11.19, धारा-147 / 148 / 149 / 353 / 307 भा0द0वि0, 25 (1-ए) 27 आम्स्र एकट, 10 / 13 / 16 / 18 यू.ए.पी. एकट 3 / 4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं 17 सी.एल.ए. एकट
- 63 चौका थाना कांड संख्या-87 / 19 दिनांक-23.12.19 धारा-147 / 148 / 149 / 387 / 435 / 379 भा0द0वि0 एवं 17 सी0एल0ए0एकट
- 64 सरायकेला थाना काण्ड संख्या-23 / 2020, दिनांक-11.02.2020, धारा- 120(बी) भा0द0वि0 एवं 26 / 35 आम्स्र एकट एवं 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 65 खरसावाँ थाना काण्ड सं0-35 / 2020, दिनांक-09.04.2020,धारा-147 / 148 / 149 / 353 / 307 भा0द0वि0, 27 आम्स्र एकट, 3 / 4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधि0, 10 / 13 यू.ए.पी. एकट एवं 17 सी0एल0ए0एकट.
- 66 कुचाई थाना कांड सं0-05 / 20, दिनांक-17.02.20, धारा-302 / 34 भा0द0वि0, 27 आम्स्र एकट एवं 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 67 कुचाई थाना कांड सं0-14 / 20, दिनांक-21.06.20, धारा-17 सी0एल0ए0 एकट।
- 68 कुचाई थाना काण्ड सं0-20 / 2020, दिनांक-24.08.2020, धारा-414 भा0द0वि0, 25 (1- 1) / 25(1-ठ) / 26 / 35 आम्स्र एकट, 3 / 4 / 5 विस्फोटक अधिनियम, 17 सी0एल0ए0 एकट एवं 10 / 13 यू0ए0पी0 एकट।

- 69 कुचाई थाना कांड सं0-30 / 20, दिनांक-10.12.20, धारा-120बी भा0द0वि0, 25(1-ए) / 25(1-बी) / 26(2) / 35 आम्स एकट एवं 17(प)(पप) सी0एल0ए0 एकट एवं 10 / 13 यू0ए0पी0 एकट।
- 70 खरसावॉ थाना काण्ड सं0-105 / 2020, दिनांक-25.12.2020, धारा-120बी भा0द0वि0, एवं 17 सी0एल0ए0एकट।
- 71 खरसावॉ थाना कांड सं0-07 / 21, दिनांक-27.01.21, धारा-120बी भा0द0वि0, एवं 17 सी0एल0ए0एकट।
- 72 कुचाई थाना कांड सं0-04 / 21, दिनांक-10.02.21, धारा-14 7 / 148 / 149 / 333 / 341 / 307 / 120बी भा0द0वि0, 27 आम्स एकट एवं 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 73 कुचाई थाना सं0-07 / 21, दिनांक-26.02.21, धारा-17 सी0एल0ए0 एकट।
- 74 चौका थाना कांड संख्या- 24 / 2021, दिनांक-12.04.21, धारा-385 / 387 भा0द0वि0 17 सी0एल0ए0 एकट एवं 10 / 13 यू0ए0पी0ए0 एकट।
- 75 चौका थाना कांड संख्या- 26 / 2021, दिनांक-25.04.21, धारा-17 सी0एल0ए0 एकट एवं 10 / 13 यू0ए0पी0ए0 एकट।
- 76 कुचाई थाना कांड संख्या-17 / 2021, दिनांक-13.07.21, धारा-307, 120(बी0) / 34 भा0द0वि0, 4, 5 वि0पदा0अधि0, 17 सी0एल0ए0 एकट एवं 10, 12 यू0ए0पी0एकट।
- 77 अङ्की थाना कांड सं0-01 / 16, दि0-08.01.16 धारा-147 / 148 / 149 / 353 / 307 / भा0द0वि0 एवं 25(1-एए) / 25(1-बी) / 26 / 27 / 34 आम्स एकट तथा 4 / 5 वि0पदा0अधि0एवं 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 78 अङ्की थाना काण्ड संख्या-04 / 18, दि0-07.02.18, धारा-147 / 148 / 149 / 353 / 307 / 414 / 386 भा0द0 वि0 एवं 25(1-ठ) / 25(1-।) / 27(2) / 35 आम्स एकट।
- 79 अङ्की थाना काण्ड सं0-01 / 16 दि0-09.01.16 धारा-147 / 148 / 149 / 353 / 307 भा0द0वि0 25(1-॥) / 25(1- इ) / 26 / 27 आम्स एकट तथा 17 सी0एल0ए एकट।
- 80 अङ्की थाना काण्ड सं0-14 / 17 दि0-29 / 04 / 17 धारा-147 / 148 / 149 / 452 / 435 / 436 / 427 / 120(बी0) भा0द0वि0 3 / 4 / 5 वि0पदा0अधि0 तथा 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 81 अङ्की थाना काण्ड सं0-17 / 17 दि0-06 / 05 / 17 धारा-4 / 5 वि0पदा0अधि0 तथा 17 सी0एल0ए एकट।
- 82 अङ्की थाना काण्ड सं0-20 / 17 दि0-12 / 06 / 17 धारा- 3 / 4 / 5 वि0पदा0अधि0 तथा 17 सी0एल0ए एकट।
- 83 अङ्की थाना काण्ड सं0-04 / 18 दि0-07 / 02 / 18 धारा-147 / 148 / 149 / 353 / 307 / 414 / 386 भा0द0वि0 25(1-।) / 25(1- इ) / 27 आम्स एकट तथा 17 सी0एल0ए एकट।
- 84 अङ्की थाना काण्ड सं0-37 / 19 दि0-05.08.19 धारा-302 / 435 / 34 भा0द0वि0, 27 आम्स एकट तथा 17 सी0एल0ए एकट।
- 85 अङ्की थाना काण्ड सं0-01 / 20 दि0-09.01.20 धारा-307 / 34 भा0द0वि0, 3 / 4 वि0पदा0अधि0 तथा 17 सी0एल0ए एकट।
- 86 अङ्की थाना काण्ड सं0-16 / 20, दिनांक-01.03.20, धारा-302 / 120(बी0) / 34 भा0द0वि0 27 आम्स एकट एवं 17 सी0एल0एल0 एकट।
- 87 तमाड़ थाना काण्ड सं0-65 / 11, दिनांक-01.06.11, धारा-147 / 148 / 149 / 353 / 302 भा0द0वि0, 25(1-बी0)पी0 26 / 27 / 35 आम्स एकट एवं 17 सी0एल0एल0 एकट।
- 88 तमाड़ थाना काण्ड सं0-13 / 13, दिनांक-31.01.13, धारा-147 / 148 / 149 / 307 / 120(बी0) भा0द0वि0, एवं 03 / 04 वि0पदा0 अधिव।
- 89 तमाड़ थाना काण्ड सं0-85 / 15, दिनांक-15.10.15, धारा-147 / 148 / 149 / 307 भा0द0वि0, 25(1-बी0)ए0 / 26 / 27 / 35 आम्स एकट एवं 04 / 05 वि0पदा0 अधिव।

- 91 तमाड़ थाना काण्ड सं0—38 / 18, दिनांक—02.05.18, धारा—302 / 435 / 34 भा0द0वि0 एवं 17 सी0एल0एल0 एकट।
- 92 तमाड़ थाना काण्ड सं0—79 / 19, दिनांक—08.12.19, धारा—147 / 148 / 149 / 353 / 307 भा0द0वि0, 04 / 05 विपदा0 अधिव एवं 17 सी0एल0एल0 एकट।
- 93 तमाड़ थाना काण्ड सं0—12 / 20, दिनांक—16.03.20, धारा—147 / 148 / 149 भा0द0वि0, 03 / 04 विपदा0 अधिव एवं 17 सी0एल0एल0 एकट।
- 94 तमाड़ थाना काण्ड सं0—36 / 20, दिनांक—29.06.20, धारा—302 / 120(बी0) 25(1—बी0)ए0 / 26 / 27 / 35 आम्स एकट।
- 95 तमाड़ थाना काण्ड सं0—40 / 20, दिनांक—16.07.20, धारा—302 / 364 / 34 विपदा0अधि0, 25(1—बी0)ए0 / 26 / 27 आम्स एकट एवं 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 96 बुंडू थाना काण्ड सं0—31 / 19, दिनांक—03.04.19, धारा 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 97 सोनुवा थाना काण्ड संख्या 14 / 14 दिनाक 03.05.14, धारा 25(1—ए) / 25(1—बी)ए / 26 / 35 आम्स एकट, 4 / 5 विपदा0अधि0, 17 सी0एल0ए0 एकट, 10 / 13 यू0ए0पी0 एकट।
- 98 टेबो थाना काण्ड सं0 05 / 17, दिनांक 15.05.17 धारा 147 / 148 / 149 भा0द0वि0 एवं 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 99 कराईकेला थाना काण्ड सं0 09 / 17, दिनांक 10.05.17, धारा 120(बी0) भा0द0वि0, 4(बी0) / 5 विपदा0 अधि0 एवं 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 100 कराईकेला थाना काण्ड सं0 15 / 17, दिनांक 15.08.17 धारा 147 / 148 / 149 / 121ए / 124ए / 120बी भा0द0वि0, 17 सी0एल0ए0 एकट एवं 10 / 12 यू0ए0पी0 एकट।
- 101 टोकलो थाना काण्ड सं0 13 / 17, दिनांक दिनांक 25.09.17 धारा 147 / 148 / 149 / 353 / 307 / 120 (बी0) / 121 / 121(ए0) भा0द0वि0, 4 / 5 विस्फोटक पदा0 अधि0, 25 (1—ए0) / 26 / 27 / 35 आम्स एकट, 10 / 13 यू0ए0पी0ए0 एकट एवं 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 102 टोकलो थाना काण्ड सं0 14 / 17, दिनांक 08.10.17 धारा 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 103 गोईलकेरा थाना काण्ड सं0 10 / 18, दिनांक 19.04.18 धारा 147 / 148 / 149 / 323 / 307 / 332 / 333 / 353 / 121(ए0) / 122 / 504 / 427 / 120(बी0) / 121 भा0द0वि0, 25(1—ए0) / 27(2)35 आम्स एकट, 3 / 4 विपदा0 अधि0, 10 / 13 यू0ए0पी0ए0 एकट एवं 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 104 गोईलकेरा थाना काण्ड सं0 11 / 18, दिनांक 24.04.18 धारा 147 / 148 / 149 / 323 / 307 / 332 / 333 / 353 / 121 / 121(ए0) / 122 / 504 / 506 / 427 / 120(बी0) / भा0द0वि0, 25(1—ए0) / 27(2) 35 आम्स एकट, 3 / 4 विपदा0अधि0, 10 / 13 यू0ए0पी0ए0 एकट एवं 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 105 टोन्टो थाना काण्ड सं0 11 / 18, दिनांक 18.05.18 धारा 147 / 148 / 149 / 353 / 332 / 121 / 121(ए0) / 122 / 307 / 506 / 120(बी0) / भा0द0वि0, 25(1—बी0)ए0 / 27 35 आम्स एकट, 3 / 4 विपदा0अधि0, 10 / 13 यू0ए0पी0ए0 एकट एवं 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 106 टोकलो थाना काण्ड सं0 15 / 18, दिनांक 16.11.18, धारा 147 / 148 / 149 / 384 / 387 / 120(बी0) / 121 / 121(ए0) भा0द0वि0, 27 आम्स एकट, 10 / 13 यू0ए0पी0ए0 एकट एंव 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 107 टोकलो थाना काण्ड सं0 17 / 18, दिनांक 17.12.18 धारा 147 / 148 / 149 / 353 / 307 / 121 / 121(ए0) / 120(बी0) भा0द0वि0, 27 आम्स एकट, 10 / 13 यू0ए0पी0 एकट एंव 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 108 टोकलो थाना काण्ड सं0 11 / 19, दिनांक 05.08.19 धारा 147 / 148 / 149 / 302 / 379 / 120बी भा0द0वि0 / 27 आम्स एकट एवं 17 सी0एल0ए0 एकट।
- 109 कराईकेला थाना काण्ड सं0 20 / 19, दिनांक 15.09.2019 धारा 384 / 386 / 387 / 120(बी) 17

- सी0एल0ए0 एकट ।
- 110 टोकलो थाना काण्ड सं0 19 / 19, दिनांक 25.11.19 धारा 147 / 148 / 149 / 120(बी) / 385 / 387 भा0द0वि0 17 सी0एल0ए0 एकट ।
- 111 कराईकेला थाना काण्ड सं0 08 / 20, दिनांक 01.03.2020 धारा 147 / 148 / 149 / 120(बी) / 121 / 121(ए0) / 385 / 387 / 353 भा0द0वि0 25(1-बी)ए / 26 / 35 आम्स एकट एवं 17सी0एल0ए0 एकट ।
- 112 टोकलो थाना काण्ड सं0 09 / 20, दिनांक 25.08.2020 धारा 147 / 148 / 149 / 120बी / 121 / 121ए / 353 / 4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 10 / 13 यु0ए0पी0 एकट एवं 17सी0एल0ए0 एकट ।
- 113 टोन्टो थाना काण्ड सं0 17 / 20, दिनांक 18.07.2020 धारा 147 / 148 / 149 / 333 / 353 / 307 भा0द0वि0 17(1)(11) सी0एल0ए0 एकट, 3 / 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 10 / 13 / 15 / 16 / 20 यु0ए0पी0 एकट एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 4 / 6, 1984
- 114 टोकलो थाना काण्ड सं0 12 / 20, दिनांक 19.09.2020, धारा 147 / 148 / 149 / 120बी / 385 / 387 भा0द0वि0 एवं 17 सी0एल0ए0 एकट ।
- 115 गोईलकेरा थाना काण्ड सं0 06 / 20, दिनांक 10.02.2020, धारा 147 / 148 / 149 / 364 / 302 / 120(बी)भा0द0वी0 37 आम्स एकट एवं 17 सी0एल0ए0 एकट ।
- 116 टोकलो थाना काण्ड सं0 02 / 21, दिनांक 08.02.2021, धारा 147 / 148 / 149 / 307 / 353 / 120बी भा0द0वि0, 25(1-बी)ए / 26 / 27 / 35 आम्स एकट, 3 / 4 विपदा0अधि0 10 / 13 यु0ए0पी0 एकट एवं 17 सी0एल0ए0 एकट ।
- 117 टोकलो थाना काण्ड सं0 09 / 21, दिनांक 04.03.2021, धारा 147 / 148 / 149 / 120बी / 121 / 121ए / 307 / 302 / 333 / 353 भा0द0वि0, 3 / 4 विपदा0अधि0 16 / 20 / 38 / 39 यु0ए0पी0 एकट एवं 17 सी0एल0ए0 एकट ।
- 118 टोकलो थाना काण्ड सं0 15 / 21, दिनांक 01.08.2021 धारा 147 / 148 / 149 / 353 / 120बी भा0द0वि0, 3 / 4 विपदा0अधि0 10 / 13 यु0ए0पी0 एकट एवं 17 सी0एल0ए0 एकट ।
- 119 टोकलो थाना काण्ड सं0 16 / 21, दिनांक 09.08.2021 धारा 147 / 148 / 149 / 120बी / 353 भा0द0वि0, 4 / 5 विपदा0अधि0 10 / 13 यु0ए0पी0 एकट एवं 17 सी0एल0ए0 एकट ।

जोनल कमाण्डर महाराज प्रमाणिक उर्फ राज उर्फ बब्लू उर्फ अशोक भाकपा माओवादी नक्सली संगठन में वर्ष 2008–09 में शामिल हुए थे । तब से संगठन में सक्रिय रूप से रहकर कार्य कर रहे थे । वर्ष 2010 से अब तक भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के केन्द्रीय कमिटी सदस्य अनल उर्फ रमेश दा उर्फ रमेश मांझी की टीम के द्वारा जिन बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, उनमें से निम्नांकित काण्ड प्रमुख हैं :—

- दिनांक 22 / 03 / 2010 को चौका थाना अंतर्गत ग्राम खूंटी नरसिंह इस्पात कम्पनी में हमला कर कम्पनी में कार्यरत सुरक्षा कर्मी एवं मजदूरों के साथ मारपीट कर एवं कम्पनी के अंदर रखे गाड़ी, कम्प्यूटर एवं मशीनों को आग के हवाले कर दिये एवं पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई थी जिसमें एक पुलिस कर्मी की मृत्यु हो गई ।
- जून–2018 कुचाई थाना अन्तर्गत ग्राम–कसरोली के पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस के साथ काफी देर तक मुठभेड़ हुई जिसमें एक पुलिस कर्मी एवं एक कोबरा का जवान की मृत्यु हो गई ।
- दिनांक 19 / 05 / 19 को खरसावाँ थाना अंतर्गत बन रहे सुरक्षा डैम की सुरक्षा हेतु हुड़ंगदा पुलिस पिकेट से सुरक्षा डैम जा रही पुलिस पार्टी पर घात लगाकार आई0ई0डी0 ब्लास्ट कर हमला कर

दिया, जिसमें दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गये थे एवं एक नक्सली प्रदीप स्वांसी भी मारा गया था, जिसकी डेड बॉडी माओवादियों ने साथ लेकर चले गये थे ।

- दिनांक 28/05/2019 को कुचाई थाना अंतर्गत रायसिंदरी पहाड़ पर अभियान में निकली पुलिस पार्टी पर घात लगाकर आई0ई0डी0 ब्लास्ट कर हमला कर दिया, जिसमें कोबरा बटालियन एवं झारखण्ड जगुआर के 15 (पंद्रह) पदाधिकारी एवं जवान गंभीर रूप से घायल हो गये थे ।
- दिनांक 28/11/2019 को कुचाई थाना अंतर्गत रायसिंदरी पहाड़ में विधानसभा चुनाव को लेकर अभियान में निकली पुलिस पार्टी पर घात लगाकर चैलेंजर बम से हमला करने वाले थे कि पुलिस पार्टी दिख गयी, जिसके साथ मुठभेड़ हो गया जिसमें करीब 01–02 घंटा लगातार फायरिंग करने पर पुलिस पार्टी को भारी पड़ता देख पूरा दस्ता के साथ वहाँ से भाग निकले ।
- दिनांक 08/04/2020 को रायजामा पुलिस पिकेट से आर0ओ0पी0 में निकली पुलिस पार्टी पर कांटागोड़ा के पास घात लगाकर आई0ई0डी0 एवं चैलेंजर बम (पाईप बम) ब्लास्ट कर हमला किया गया ।
- दिनांक 23/05/2020 को खरसावाँ थाना अंतर्गत ग्राम रायजामा के एक दम्पति मंगल सरदार एवं लखमनी सरदार को उसके घर पर ही रात्रि में पुलिस मुख्बीर का आरोप लगाकर गोली मारकर हत्या कर दिया गया ।
- दिनांक 06/07.02.2021 को टोकलो थाना (चाईबासा) अंतर्गत लांजी पहाड़ में अभियान में निकली पुलिस पार्टी पर घात लगाकर हमला कर दिये, जिसमें पुलिस के साथ लगातार दोनों दिन करीब 01–02 घंटा मुठभेड़ हुआ एवं पुलिस को भारी पड़ता देख वहाँ से पूरा दस्ता भाग निकला । इस मुठभेड़ में माओवादियों का पिठु बैग एवं अन्य महत्वपूर्ण सामग्री छुट गया था, जिसे पुलिस जप्त कर लिये ।
- दिनांक 04/03/2021 को टोकलो थाना (चाईबासा) अंतर्गत लांजी पहाड़ से पुलिस पार्टी के अदला—बदली के क्रम में पुलिस पार्टी पर घात लगाकर चैलेंजर बम (पाईप बम) ब्लास्ट कर हमला कर दिये, जिसमें झारखण्ड जगुआर के तीन जवान शहीद हो गये ।

जोनल कमाण्डर महाराज प्रमाणिक के आत्मसमर्पण से उपरोक्त काण्डों के अनुसंधान/संलिप्त अन्य उग्रवादियों की गिरफतारी एवं साक्ष्य संकलन में बल मिलेगा तथा घटना के वास्तविकता की जानकारी मिल पायेगी ।

**क्रियावादी का पूर्व इतिहास:-** जोनल कमाण्डर महाराज प्रमाणिक उर्फ राज उर्फ बब्लू उर्फ अशोक (जोनल प्रवक्ता) वर्ष 2007–08 में चाण्डिल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे । उसी दौरान इनकी माँ (ऑगनबाड़ी सेविका) जिसे चबूतरा निर्माण के विवाद को लेकर गाँव के ही कुछ लोगों द्वारा इनके माँ को जान से मारने के लिए सुपारी दे दिया था । अपराधी लोग एक दिन इनके माँ को मारने के लिए घर पर धावा बोल दिया, परंतु माँ घर पर नहीं होने के कारण बच गयी । तब इनके द्वारा इधर—उधर सब से मदद की गुहार लगाये, परंतु कहीं से कोई भी मदद नहीं मिल पाया । तब इनके गाँव के आस—पास भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के एरिया कमाण्डर रामविलाश लोहरा भ्रमणशील थे,

जिनसे जाकर मिले और मदद कि गुहार लगाये । तब संगठन के सब जोन कमाण्डर डेविड महतो, मार्सल टुटी से मुलाकात करा दिया । तब वे लोग मदद का अश्वासन देकर टीम में शामिल कर लिया और ये भाकपा माओवादी नक्सली संगठन में वर्ष 2008–09 में शामिल हो गये । तब से संगठन में सक्रिय रूप से रहकर कार्य करने लगे । शुरूआत में इनको लोकल होने के कारण ग्रामीणों को संगठन से जोड़ने की जिम्मेवारी दी गयी ताकि पार्टी उस इलाके में अपनी पकड़ और मजबूती से बना सके । इन्होने करीब 01 साल में बड़ी लगनशीलता के साथ काम कर उस क्षेत्र में जनता को पार्टी से जोड़ा, जिससे उस क्षेत्र में पार्टी की पकड़ काफी मजबूत बन गयी । वर्ष 2010 में जोनल कमाण्डर कुन्दन पाहन से इनकी मुलाकात हेस्साकोचा क्षेत्र में हुई । जहाँ इसके कार्य कुशलता को देखते हुए पार्टी द्वारा चाण्डिल क्षेत्र का एरिया कमाण्डर बना दिया गया । वर्ष 2011 में केन्द्रीय कमिटी सदस्य कोटेश्वर राव उर्फ किसन जी सारंडा से वापस बंगाल लौट रहा था, जिसको पार कराने के लिए अनल, अतुल, अमित भी साथ में था, जिससे मुलाकात हुआ । तब किसन जी को सफलता पूर्वक बंगाल पार करा दिये, जिससे प्रभावित होकर अनल दा इनको अपने साथ रख लिया और पोड़ाहाट साथ में लेकर चला गया । वही पर प्रसांत बोस से मिलवाया । वापस अनल के साथ ट्रांयजेक्सन इलाके में आ गया । वर्ष—2013 में कुन्दन पाहन संगठन छोड़कर भाग जाने के बाद बुण्डू चाण्डिल का सब जोनल कमाण्डर बनाया । आम जनता को संगठन से जोड़ने, बाहरी लोगों से सम्पर्क स्थापित करने एवं संगठन के यांत्रिक कार्यों के आलावे संगठन के जरूरी सामग्री को मंगवाने में इनकी रुची एवं कुशलता के कारण इन्हे वर्ष—2015 में जोनल कमाण्डर बना दिया गया । तब से इन्होने इस इलाके में संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए बंगाल, उत्तरी जोन (गिरिडीह, बोकारो, संथाल परगना) से शीर्ष नेताओं (किशन दा, विवेक दा, मिसिर बेसरा, कंचन दा आदि) को सुरक्षित रूप से (सारंडा, पोड़ाहाट, ट्राई—जक्शन क्षेत्र) तक लाने व ले जाने मुख्य भूमिका के रूप में कार्य कर रहा था ।

आत्मसमर्पित नक्सली महाराज प्रमाणिक ने बताया कि ये अपने घर की परेशानियों एवं उनके सिद्धांतों से प्रभावित होकर संगठन से जुड़े थे, परंतु संगठन अपने सिद्धांतों एवं दिशा से भटक गयी है एवं अब भाकपा माओवादी शोषण एवं लेवी वसूली की पार्टी हो गयी है एवं शीर्ष नक्सली कमाण्डर नीचे के कमाण्डरों का शोषण एवं सिद्धांत के विपरित कार्य करने हेतु एवं भ्रमणशील इलाकों के ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने हेतु दबाव बनाते रहते हैं । जिससे नक्सलियों द्वारा की जा रही ग्रामीणों की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर ये पार्टी को छोड़कर झारखण्ड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर परिवार के साथ रहकर सामान्य जीवन जीने के लिए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं और ये अपने अन्य नक्सली साथियों से अपील किये हैं कि वे लोग भी झारखण्ड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ लेकर हथियार डालकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें ।

आत्मसमर्पण किये नक्सली को सरकार के द्वारा घोषित आत्मसमर्पण नीति के तहत राहत एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी साथ ही इनके विरुद्ध पूर्व से जो कांड अंकित हैं, उनमें इन्हें न्यायिक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा ।

अभी भी ट्राई—जक्शन एरिया में कई बड़े इनामी वांछित नक्सली सक्रिय हैं, जिनकी खोज, छापामारी, तलाशी के अलावे सामुदायिक पुलिसिंग एवं पोस्टर प्रचार के माध्यम से किया जा रहा है । वांछित नक्सलियों की सूचना जो कोई व्यक्ति पुलिस को देगी तथा उन्हे गिरफ्तार करने में मदद करेगी उनका नाम—पता गुप्त रखते हुए घोषित इनाम की राशि सूचना देने वाले को दी जाएगी

| सभी नक्सलियों को चेतावनी दी जाती है कि वे हिंसावादी विचारधारा को छोड़कर आत्मसमर्पण कर दे तथा झारखण्ड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठावे तथा मुख्य धारा से जुड़े अन्यथा कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे।

आत्मसमर्पण से झारखण्ड पुलिस का हौसला बुलंद हुआ है। साथ ही सरकार की आत्मसमर्पण नीति सार्थक साबित हो रही है। झारखण्ड पुलिस राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित है। हाल ही में झारखण्ड सरकार के द्वारा नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति को और अधिक लचिला बनाया गया है, जिसके तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को Open Jail में रखने का प्रावधान किया गया है।

नक्सली जोनल कमाण्डर महाराज प्रमाणिक के आत्मसमर्पण से भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के केन्द्रीय कमिटी सदस्य अनल उर्फ रमेश मांझी के दस्ता जो रँची, सरायकेला—खरसावाँ, खूंटी, चाईबासा जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों में झारखण्ड पुलिस के लिए लगातार चुनौती बना हुआ था, इससे भाकपा माओवादी संगठन को न सिर्फ एक बहुत बड़ा झटका लगा है खास कर चाण्डिल, बुण्डू सब जोन में संगठन काफी कमजोर होंगे एवं इस क्षेत्र में संगठन की टुटने की प्रबल संभावना है एवं झारखण्ड पुलिस के लिए यह एक बड़ी सफलता है।